सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनीरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई/Miniratna Category - I, CPSE.

भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन/Wholly owned by Government of India

---

निमु(मा.सं.)/प्रशा/359-01/501 दिनांक: 09.02.2026

कार्यालय आदेश/Office Order

विषय/Sub: महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत एसपीएमसीआईएल, निगम कार्यालय में आंतरिक परिवाद समिति (आईसीसी) का गठन/Constitution of Internal Complaints Committee (ICC) under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013 for Corporate Office, SPMCIL.

कंपनी एक ऐसा कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक महिला कर्मचारी के साथ गरिमा और सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाए। इसका उद्देश्य एक न्यायसंगत कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना है जो महिला कर्मचारियों के विकास के लिए अनुकूल है और अवसरों के संदर्भ में समानता को प्रोत्साहित करता है। कंपनी किसी भी प्रकार के लैंगिक उत्पीड़न का विरोध करती है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है कि कंपनी की महिला कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।

The company is committed towards providing a work environment which ensures that each woman employee is treated with dignity and respect. The objective is to promote an equitable work culture that is conducive to the growth of women employees and encourages equality in terms of opportunities. The Company detests any form of sexual harassment and is committed to take all necessary steps to ensure that its women employees are not subjected to any form of harassment.

2. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के प्रावधान के अनुसार निगम कार्यालय, एसपीएमसीआईएल में लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए आंतरिक परिवाद समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। बाहरी सदस्य का कार्यकाल पूर्ण होने के परिणामस्वरूप, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसपीएमसीआईएल के अनुमोदनानुसार आईसीसी का पुनर्गठन निम्नानुसार किया गया है:-

In accordance with the provision under Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, the Internal Complaints Committee (ICC) has been constituted to deal with the complaints of sexual harassment at Corporate Office, SPMCIL. Consequent upon the completion of tenure of external member, the ICC has been re-constituted as under with the approval of the Chairman and Managing Director, SPMCIL:-

S. No.	Name	Designation in ICC	Contact
1	सुश्री सीमा रानी, संयुक्त महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ Ms. Seema Rani, Jt. GM (F&A)	अध्यक्ष/ Chairperson	seema.rani@spmcil.com 011-43582231
2	श्री नीरज कुमार, प्रबंधक (तक.प्रचा.)/ Shri Neeraj Kumar, Manager (TO)	सदस्य/ Member	neeraj.kumar@spmcil.com 011-43582242

आलोक
09/02/2026

3	श्री व्योम त्रिपाठी शिवम, प्रबंधक (विधि)/ Shri Vyom Tripathi Shivam, Manager (Legal)	सदस्य/ Member	vyom.shivam@spmcil.com 011-40580019
4	सुश्री रचना त्यागी, एओआर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय/ Ms. Rachna Tyagi, AOR, Hon'ble Supreme Court of India	बाहरी सदस्य/ External Member	tyagi.rachna@gmail.com +91 - 8130146664

3. लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत को घटना की तिथि से तीन महीने के भीतर या यदि घटनाओं की श्रृंखला है तो अंतिम घटना की तिथि से तीन महीने के भीतर पत्र या ई-मेल के माध्यम से लिखित रूप में आईसीसी को अग्रेषित किया जाए।

Any grievance of sexual harassment may be referred to the ICC in writing through letter or e-mail within three months from the date of incident or if there are series of incidents then within three months from the date of last incident.

आलोक 09/02/2026

(आलोक आचार्या/Alok Acharjya)
संयुक्त महाप्रबंधक/Jt. General Manager (विधि/Legal)

प्रति/Copy: समिति के सभी सदस्य/All Committee Members

प्रतिलिपि/Copy to:

i. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक कार्यालय/Office of CMD
ii. निदेशक (मा.सं.) कार्यालय/ निदेशक (वित्त) कार्यालय/मुख्य सतर्कता अधिकारी कार्यालय/ Office of Director (HR)/Office of Director (Finance)/Office of CVO
iii. मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.)/CGM (HR)
iv. मुख्य महाप्रबंधक (सू. प्रो.)/CGM (IT)
v. अपर महाप्रबंधक (तकनीकी प्रचालन)/AGM (T.O)
vi. सभी संयुक्त महाप्रबंधक, निगम कार्यालय/ All Jt. GMs, Corporate Office
vii. कंपनी सचिव/Company Secretary
viii. नोटिस बोर्ड/Notice Board